न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2022/279

1. बजरंगा आत्मज रामकुंवार जाति मीणा निवासी केदारा की झौपडियां तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।

–अपीलांट

बनाम

1. देवीशंकर आत्मज रामदेव जाति बैरवा निवासी केदारा की झौपडियां तहसील तहसील नैनवा जिला बून्दी(राज0)।
2. रामकन्या पुत्री रामदेव पत्नी रामलाल जाति बैरवा निवासी केदारा की झौपडियां तहसील तहसील नैनवा जिला बून्दी(राज0)।
3. मनभर पुत्री रामदेव पत्नी हीरालाल जाति बैरवा निवासी केदारा की झौपडियां तहसील तहसील नैनवा जिला बून्दी(राज0)।
4. देवीशंकर आत्मज श्री रामदेव जाति बैरवा निवासी केदारा की झौपडियां तहसील तहसील नैनवा जिला बून्दी(राज0)।
5. हनुमान आत्मज कालू जाति मीणा निवासी केदारा की झौपडियां तहसील तहसील नैनवा जिला बून्दी(राज0)।
6. गोरधन आत्मज कालू जाति मीणा निवासी केदारा की झौपडियां तहसील तहसील नैनवा जिला बून्दी(राज0)।
7. बैंक ऑफ बडौदा शाखा जरखोदा जर्ये शाखा प्रबंधक महोदय बैंक ऑफ बडौदा शाखा जरखोदा तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
8. बैंक ऑफ बडौदा शाखा करवर जर्ये शाखा प्रबंधक महोदय बैंक ऑफ बडौदा शाखा करवर तहसील नैनवां जिला बून्दी(राज0)।
9. भूमिधारी राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–(1). श्री रविन्द्र खण्डेलवाल– अधिवक्ता अपीलांट

(2). श्री हैमेन्द्र आसावत– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1

निर्णय दिनांक 20.09.2023

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 66/2020 मे पारित निर्णय दिनांक 22.11.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत प्रार्थना–पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम केदारा की झोपडियां पटवार मण्डल आंतरदा तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान की जमाबन्दी सम्बत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 43 के अनुसार कृषि भूमि खसरा संख्या 41 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित हैं । उक्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य कब्जे काश्त की है जिस पर प्रार्थी वर्तमान में काबिज रहकर कृषि करता चला आ रहा है । ग्राम केदारा की झौपनियां पटवार मण्डल आंतरदा तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान की जमाबन्दी सम्बत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 60 के अनुसार कृषि भूमि खसरा संख्या 269 रकबा 05 बीघा 08 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 3 प्रहलाद के अकेले के खातेदारी अधिकार एवं आधित्य की है। ग्राम केदारा की झोपडियां पटवार मण्डल आंतरदा तहसील नैनवां जिला बून्दी राजस्थान की जमाबन्दी सम्बत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 188 के अनुसार कृषि भूमि खसरा संख्या 40/1 रकबा 08 बीघा 00 मिरवा व खसरा संख्या 40/2 रकबा 05 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि अप्रार्थीगण 4 लगायत 5 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की भूमि है । प्रार्थना पत्र की चरण संख्या में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 41 में जाने का 1 रास्ता ग्राम करवर से केदारा की झोपडियां जाने वाली आम डामर सड़क के पश्चिमी और स्थित प्रार्थना की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 269 की उत्तरी मेड के सहारे सहारे होता हुआ खसरा संख्या 40 की पूर्वी मेड के सहारे सहारे होता हुआ प्रार्थी के खाते की भूमि खसरा संख्या 41 तक पहुंचता है। प्रार्थी करीबन 50 वर्ष से अधिक समय से इसी रास्ते का उपयोग करता चला आ रहा है। उक्त रास्ते को मौके के नजरी नक्शा परिशिष्ठ "अ " में रास्ते को लाल स्याही से अ, ब, स के रूप में दर्शाया गया है जो पृथक से साथ में संलग्न है जिसे प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग माना जावेगा । उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खाते की भूमि पर जाने का अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है । प्रार्थना

पत्र की चरण संख्या 2 लगायत 3 के खातेदारान व कब्जाधारी उप्रार्थीगण 2 लगायत 6 एक राय होकर प्रार्थी के वर्षो दराज पुराने उका रास्ते को बंद करने पर उतारू हो गये और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये दिनांक 25/05/2020 को अप्रार्थीगण 2 लगायत 6 जबरन प्रार्थी के रास्ते को बन्द करने लग गये जिसका विरोध प्रार्थी ने किया तो उल्टा मारपीट करने पर आमादा हो गये साथ अप्रार्थीगण 2 लगायत 6 लगातार धमकियां दे रहे है कि हम तुम्हारा रास्ता अवरुद्ध करके रहेगें रास्ते में होकर नहीं निकलने देगें। यही प्रार्थना पत्र कारण है। प्रार्थी का ग्राम करवर से केदारा की झोपडियां जाने वाली आम डामर सड़क के पश्चिमी ओर स्थित प्रार्थना की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि खसरा संख्या 269 की उत्तरी मेड़ के सहारे सहारे होता हुआ खसरा संख्या 40 की पूर्वी मेड के सहारे सहारे होता हुआ प्राथी के खाते की भूमि खसरा संख्या 41 तक पहुंचने वाला एक मात्र रास्ता है जिसका राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अंकन होना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है जिसके लिये प्रार्थी खसरा संख्या 269 व 40 के खातेदारान अप्रार्थीगण 3 लगायत 5 को न्यायालय श्रीमान के आदेशानुसार कीमत अदा करने को तैयार है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि वह अप्रार्थीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये कि वे प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 लगायत 6 की भूमि खसरा संख्या 269 व 40 में होकर निकल रहे प्रार्थी के आम रास्ते को अवरुद्ध नहीं करे तथा प्रार्थी के आने जाने में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न तो स्वयं करे और न ऐसा कार्य किसी अन्य से भी नहीं कराये। प्रार्थी गरीब व्यक्ति है जो ताकत के बल पर अप्रार्थीगण का मुकाबला नहीं कर सकता! अप्रार्थीगण द्वारा रास्ता बन्द कर दिया गया तो प्रार्थी का अपने खेत पर जाना दूभर हो जायेगा तथा उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 41 पर जाने का अन्य कोई रास्ता नहीं है । जिससे प्रार्थी को भारी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति नकद के रूप में कदापि संभव नहीं है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 2 प्रार्थी के साथ खसरा संख्या 41 में रिकार्डड खातेदार होने से आवश्यक पक्षकार बनाया है जिनके विरूद्ध किसी प्रकार की कोई प्रभावी याचना नहीं है। अप्रार्थी संख्या 7 व 8 बैंक आफ बडौदा शाखा जरखोदा, करवर जये शाखा प्रबन्ध एक महोदय,बैंक आफ बडौदा शाखा जरखोदा, करवर जिला बूंदी राजस्थान को मुताबिक रिकार्ड आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया है जिसके विरूद्ध किसी भी प्रकार की प्रभावी याचना नहीं है और न ही उक्त प्रार्थना में किसी प्रकार से हित दुष्प्रभावित नहीं होते है। अप्रार्थी संख्या 9 को भू–स्वामी होने एवं आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया है जिसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की प्रभावी याचना नहीं है और न ही उक्त प्रार्थना पत्र में इनके किसी प्रकार से हित दुष्प्रभावित नहीं होते है । अन्त में ग्राम करवर से केदारा की झौपडियां जाने वाली आम डामर सड़क के पश्चिमी ओर स्थित प्रार्थना की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि खसरा

संख्या 269 की उत्तरी मेड़ के सहारे सहारे होता हुआ खसरा संख्या 40 की पूर्वी मेड के सहारे सहारे होता हुआ पूर्व पश्चिमी व आगे चल कर उत्तर दक्षिण 15 फीट चौडा सम्पूर्ण लम्बाई में प्रार्थी के खाते की भूमि खसरा संख्या 41 तक पहुंचने का रास्ता नक्शा परिशिष्ट "अ" में लाल स्याही व अ ब स मार्क से दर्शाये अनुसार राजस्व रिकार्ड में कीमतन दर्ज करने की आज्ञा प्रदान कि जाकर रास्ते का अंकन समस्त राजस्व नवशे सहित समस्त राजस्व रिकार्ड में किये जाने का निवेदन किया तथा अप्रार्थीगण 2 लगायत 6 को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया कि वे खसरा संख्या 269 व 40 में होकर निकल रहें प्रार्थी के आम रास्ते को अवरूद्ध नहीं करे तथा प्रार्थी के आने जाने में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित न तो स्वयं करे और न ऐसा कार्य किसी अन्य से भी नहीं करावे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण द्वारा दिनांक 22.11.2021 को निर्णित किया जाकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 41 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा मे आने जाने हेतु रास्ता खसरा संख्या 269 व 1655/40 में कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का निर्णय पारित किया गया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.11.2021 से व्यथित होकर की अपीलांट अप्रार्थी संख्या 6 ने यह अपील न्यायालय हाजा में मियाद बाहर पेश की। अपील अपीलांट न्यायालय हाजा द्वारा सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट 9 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी उक्त एकतरफा निर्णय जैर अपील की कोई भी जानकारी नहीं रही है। अपीलांट को एकतरफा निर्णय जैर अपील की जानकारी हाल ही में दिनांक 10.11.2022 को अपीलांट के पटवारी हल्का से मिलने और उसके द्वारा निर्णय जैर अपील की जानकारी देने पर हुई जिस पर अपीलांट द्वारा तुरन्त प्रभाव से अधीनस्थ न्यायालय के यहां उक्त निर्णय की नकल हेतु दिनांक 11.11.2022 को आवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय के यहां से उक्त

निर्णय व सम्बंधित दस्तावेजात की नकल दिनांक 17.11.2022 को प्राप्त हुई, जिसके पश्चात अपीलांट द्वार रूपये पैसो का इन्तजाम कर अधिवक्ता महोदय से सम्पर्क कर माननीय न्यायालय के यहां यह अपील प्रस्तुत की है, जो सर्वप्रथम जानकारी व नकल प्राप्त होने की दिनांक 17.11.2022 से अवधि मध्य पेश है। अपील पेश करने में हुई देरी की अवधि को कन्डोन करते हुए अपील को सुनवाई हेतु रिकॉर्ड पर लिया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। अन्त में अपील मे हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किये जाने व अपील अदंर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि हस्तगत अपील मियाद बाहर प्रस्तुत हुई, अतः सर्वप्रथम लिमिटेशन के बिन्दु पर निर्णय किया जाए। अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथनों को दोहराया तथा आगे कथन किया कि अपीलांट को कभी प्रोपर तामील नहीं हुई। अपीलांट को कोई नोटिस ही नहीं मिला तथा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर अंकित रजिस्टर्ड एडी. भी प्राप्त नहीं हुई। जब हमें प्रकरण का पता ही नहीं था तो पटवारी हल्का से हमें जानकारी मिली। अपीलांट ग्रामीण परिवेश से भी है तथा तकनीकि आधार पर लिमिटेशन के आधार पर ही अपील खारिज नहीं की जाए इसे गुणावगुण पर निर्णित किया जाए। मेने धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र के साथ शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है परन्तु रेस्पोडेन्ट ने कोई काउंटर शपथ–पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया। अंत में अपीलांट प्रार्थी का धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधिवक्ता अपीलांट के कथनों का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट को प्रोपर तामील हुई थी। दिनांक 12.07.2021 की अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 5, 6 के नोटिस लौटकर नहीं आने का अंकन है। साथ ही इसी आदेशिका पर अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 5, 6 के रजिस्टर्ड एडी तलबाना पेश करने पर तलबी जारी करने का आदेश अंकित है। दिनांक 24.08.2021 की अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 5, 6 के रजिस्टर्ड एडी तलबी को एक माह से अधिक का समय हो जाने का अंकन है। नियमानुसार रजिस्टर्ड एडी सम्मन नोटिस को एक माह से अधिक का समय हो जाने के बाद तामील मानी जाती है। अपीलांट को जारी दिनांक 22.11.2021 के कैम्प कोर्ट के नोटिस भी अपीलांट के परिवार के सदस्य द्वारा तामील हुए है। अतः अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.11.2021 की जानकारी थी। अपीलांट ने जानबूझकर विलम्ब से अपील पेश की है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में मिथ्या कथन अंकित किए है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज किये जाने योग्य है। हमने उभयपक्षकारान की धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अप्रार्थी संख्या 6 बजरंगा पुत्र रामकुंवार को जारी रजिस्टर्ड डाक लिफाफा संलग्न है, जिस पर अंकित है, "वापस इस नाम का व्यक्ति नहीं है।" अतः यह प्रतीत होता है कि अपीलांट को प्रोपर तामील नहीं हुई। प्रशासन गावों के संग अभियान कैम्प कोर्ट में निर्णय अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित हुआ। अतः प्रथम दृष्ट्या यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलांट को समय पर प्रश्नगत निर्णय दिनांक 21.11.2021 की जानकारी थी। अपीलांट ने दिनांक 25.11.2022 को हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। चूंकि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में प्रोपर तामील ही नहीं हुई, अतः अपीलांट के कथन सद्भाविक प्रतीत होते है। अतः अपीलांट के धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है। न्यायहित में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ–पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, विधि एवम संचिता में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जैर अपील अपीलाण्ट की अनुपस्थिति एवम अपीलाण्ट को सूचना, सुनवाई का सम्यक अवसर प्रदान किये बिना एक तरफा रूप से पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं से ही यह स्पष्ट है कि अधी० न्यायालय के सम्मन की कोई भी सम्यक तामील नहीं हुई है। अपीलाण्ट को कोई भी नोटिस तामील नहीं कराये गये है स्वयं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड ए0डी0 जारी किये जाने का कोई भी अंकन नही किया गया है, ना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध कोई एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी है. फिर भी अधी० न्यायालय द्वारा मनमर्जी रूप से दिनांक–22–11–2021 को रेस्पो० नम्बर–1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को कैम्प कोर्ट आंतरदा रखकर मनमर्जी रूप से ही व एक तरफा रूप से निर्णय जैर अपील पारित कर दिया, जो पूर्णतया विधि व प्रक्रिया के सर्वथा विपरीत व गैरकानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य है। कानूनन प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत कंम्प कोर्ट में केवल उन्ही प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है, जिनमें पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया हो, अर्थात केम्प कोर्ट में राजीनामे

से ही प्रकरणो का निस्तारण किया जा सकता है. किन्तु अधी० न्यायालय द्वारा पक्षकारान के मध्य कोई राजीनामा हुऐ बिना एवम रेस्पो० की अनुपस्थिति के बिना मनमर्जी रूप से निर्णय जैर अपील पारित करने और रेस्पो० नम्बर–1 के पक्ष में अपीलाण्ट की आराजी में रास्ता उपलब्ध करवाने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य भी उल्लेखनीय था कि तहसीलदार नैनवा द्वारा भी मौका रिपोर्ट तैयार किये जाते समय अथवा मौका रिपोर्ट तैयार किये जाने से पूर्व अपीलाण्ट को कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है, ना कोई जानकारी दी गयी है। तहसीलदार नैनवां द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट एक तरफा रूप से रेस्पोडेन्ट नम्बर–1 के हितबद्ध होकर जारी की गयी है और अधी० न्यायालय द्वारा भी उक्त एक तरफा एवम गलत रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाण्ट की आराजी से रास्ता उपलब्ध कराने का निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो पूर्णतया गलत, गैरकानूनी व मनमाना होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भी भली भांति स्पष्ट था कि रेस्पो० नम्बर–1 प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के यहां प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अपनी आराजी खसरा नम्बर–41 पर पहुंचने के लिए अप्रार्थी नम्बर 4 व 5 की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर– 40 / 1 रकबा 8 बिस्वा व खसरा नम्बर–40 / 2 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा से होते हुऐ रेस्पोडेन्ट क्रम–3 की खाते की आराजी खसरा नम्बर–269 की उत्तरी मेड के सहारे होते हुऐ रास्ता वर्षो दराज पुराना होना बताते हुऐ उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने का अनुतोष चाहा था । रेस्पोडेन्ट नम्बर–1 अप्रार्थी द्वारा अपीलाण्ट बजरंगा की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1655/40 मे से कोई भी रास्ता विध्यमान नही बताया था, ना ही नवीन रास्ता चाहा था, किन्तु फिर भी अधी० न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट नम्बर–1 की अभिवचनों के विरूद्ध जाकर अपीलाण्ट की आराजी खसरा नम्बर–1655/40 में रास्ता उपलब्ध कराये जाने का मनमर्जी रूपसे निर्णय जर अपील पारित करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भली भांति स्पष्ट था कि रेस्पो० नम्बर–1 प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर– 40/1 व खसरा नम्बर– 40/2 पर पहुंचने के लिए किसी भी रास्ते की मांग नहीं की गयी थी, बल्कि रेस्पो० नम्बर–1 द्वारा अपनी खोदारी की आराजी खसरा नम्बर – 41 पर पहुंचने के लिए रेस्पो0 नम्बर–4 व 5 की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर– 40/1 व खसरा नम्बर– 40/2 में होकर रास्ता होना बताया गया था और उसी अनुसार रास्ते की मांग की गयी थी. किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्णतया आरवीट्रेटरी व मनमर्जी रूप से कानून के खिलाफ जाकर खसरा नम्बर– 40/1 व खसरा नम्बर–40/2 व खसरा नम्बर–41 पर पहुंचने के लिए अपीलाण्ट की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर – 1655/40 में से पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराने का निर्णय जैर अपील पारित कर दिया, जो सर्वथा मनमाना, अवैध व गैरकानूनी होने से

निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पो० नम्बर–1 प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के यहां प्रस्तुत अपने प्रार्थना–पत्र में अपनी खाते की कृषि आराजी खसरा नम्बर – 41 वाकै ग्राम केदारा की झौपडियां तहसील नैनवां पर पहुंचने के लिए खसरा नम्बर– 40 / 1 व खसरा नम्बर–40/2 व खसरा नम्बर – 269 से होते हुऐ वर्षो दराज पुराना रास्ता विध्यमान होना और रेस्पो० नम्बर–2 लगयत – 6 द्वारा जबरन उक्त रास्ते को बंद करने का प्रयास करना बताया गया था, जिससे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भली भांति स्पष्ट था कि पूर्व से विध्यमान रास्ते को अवरूद्ध किये जाने पर उसे खुलासा किये जाने के प्रावधान धारा–251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किये गये है। धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पूर्व विध्यमान रास्ते को खुलासा करने आदि का क्षेत्राधिकार तहसीलदार के न्यायालय को प्राप्त है। जिसके कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के क्षेत्राधिकार का ना होकर न्यायालय तहसीलदार न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है और प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर धारा–251 क के तहत सुनवाई नही की जा सकती, किन्तु फिर भी अधी० न्यायालय ने मनमर्जी, गलत व गैरकानूनी रूप निर्णय जेर अपील पारित करने में गंभीर त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्षयह भी भली भांति स्पष्ट था कि रेस्पो० नम्बर–1 को अपनी आराजी खसरा नम्बर – 41 पर पहुंचने के लिए पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता विद्यमान चला आ रहा है और रेस्पो० नम्बर–1 प्रार्थी अपनी आराजी पर उक्त वैकल्पिक रास्ते का ही उपयोग उपभोग करता है। तहसीलदार द्वारा भी रेस्पो० नम्बर–1 प्रार्थी के हितबद्ध होकर एवम अपने दायित्वो का निर्वहन कर प्रस्तुत की गयी मौका रिपोर्ट में उक्त वैकल्पिक रास्ते का कोई भी विवरण नहीं दिया गया है। कानूनन पूर्व से ही वैकल्पिक व विध्यमान रास्ता अस्तित्व में होने से धारा–251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नवीन रास्ता उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, किन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्णतया गलत व मनमाने तौर पर निर्णय जैर अपील पारित करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने रजिस्टर्ड एडी जारी होने का अंकन अपनी आदेशिका में तो किया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऐसे नोटिस जारी ही नहीं हुए। उन्हें प्रोपर तामील नहीं हुई। प्रार्थी के अनुतोष में अलग रास्ता मांगा जबकि रास्ता दूसरी जगह दिया गया। यह स्थापित सिद्धान्त है कि जो मांगा जी नहीं गया वह दिया भी नहीं जा सकता। रास्ता तो केवल खसरा नम्बर 41 के खातेदार ने मांगा था। मौका रिपोर्ट के बारे में भी हमें सूचित नहीं किया गया। अतः हम मौके पर उपस्थित भी नहीं हो सके। मौके पर रिपोर्ट के समय सूचना दिया जाना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 68 व 70 की पालना नहीं की। इसलिए प्रश्नगत निर्णय विधि के विरूद्ध है। प्रकरण का निस्तारण कैम्प–कोर्ट में उनकी अनुपस्थिति में

किया गया जबकि राजस्व मण्डल के पत्रों में भी स्पष्ट है कि प्रशासन गावों के संग अभियान में पक्षकारों के मध्य उनकी उपस्थिति में सहमति से निर्णय पारित किया जाए। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हे। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय जैर अपील दिनांक–22–11–2021 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

8. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अवधि बाधित है। अपीलांट ने अपील लिमिटेशन के बाहर प्रस्तुत की है। अतः अपील मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 24.08.2021 से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने एक माह के इंतजार के बाद तामील मानी है। अपीलांट अप्रार्थी संख्या 6 बावजूद सूचना के अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। कैम्प कोर्ट के भी नोटिस जारी हुए तो अपीलांट अप्रार्थी संख्या 6 वहां भी उपस्थित नहीं हुए। प्रार्थी के पास कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं था। प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता थी। अधीनस्थ न्यायालय ने नियमानुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त कर निर्णय पारित किया है। मौका रिपोर्ट से सही स्थिति स्पष्ट हुई तथा उसी के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय ने नियमानुसार रास्ता प्रदान किया है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.11.2021 बहाल रखे जाने का निवेदन किया।

9. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 12.07.2021 व दिनांक 24.05.2021 के अवलोकन से जाहिर होता है कि अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 5, 6 के रजिस्टर्ड एडी से तलबी के आदेश दिए गए। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न अपीलांट अप्रार्थी संख्या 6 बजरंगा को जारी रजिस्टर्ड एडी के लिफाफे पर अंकित हे, "वापस इस नाम का व्यक्ति नहीं है।" इसी प्रकार प्रशासन गावों के संग अभियान के तहत आयोजित कैम्प कोर्ट हेतु अपीलांट बजरंगा को जारी नोटिस के पृष्ठ भाग पर 'रमेश' अंकित है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट अप्रार्थी संख्या 6 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रोपर तामील नहीं हुई तथा वे अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हो सके। आदेशिका दिनांक 22.11.2021 पर भी किसी पक्षकार की उपस्थिति के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। मौका रिपोर्ट दिनांक 23.03.2021 पर भी अपीलांट को सूचना देने का अंकन नहीं है तथा न ही अपीलांट के हस्ताक्षर अंकित है। ऐसा स्पष्ट प्रतीत

होता है कि मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु मौके पर उपस्थिति की सूचना अपीलांट अप्रार्थी संख्या 6 को नहीं दी गई। अतः हमारे मत मे नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। वैकल्पिक रास्ता है अथवा नहीं इस सम्बंध में अपीलांट द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निस्तारण भी उभयपक्षकारान की उपस्थिति में मौके की स्पष्ट रिपोर्ट आने पर ही हो सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4, 5, 6 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करना भी आदेशिका पर अंकित नहीं किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के प्रावधानों की पालना नहीं की गई। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय को निर्धारित प्रकिया अपनाते हुए सभी पक्षकारान को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर विधिसम्मत निर्णय पारित करना चाहिए था। हमारे मत मे प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अनुपस्थिति में उसे बिना सुने प्रशासन गावों के संग अभियान में कैम्प–कोर्ट में प्रश्नगत निर्णय दिनांक 22.11.2021 पारित किया है, अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.11.2021 को निरस्त किया जाना उचित है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है, अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नैनवां के प्रकरण संख्या 66/2020 मे पारित निर्णय दिनांक 22.11.2021 खारिज किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 69 व 70 के प्रकाश में विधि सम्मत रूप से नवीन निर्णय पारित करे।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 20.09.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा